**हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नार्थ ईस्ट एण्ड हिमालयन स्टेट्स (HMNEH) एवं विभाग में संचालित अन्य योजनाओं हेतु संरक्षित खेती (Protected Cultivation) घटक के अन्तर्गत एन्टी बर्ड/एन्टी हेल नेट– Woven/Leno, Knitted/Raschel एवं प्लास्टिक मल्चिगं शीट आपूर्तिकर्ता फर्मो/कम्पनियों/अधिकृत विक्रेताओं के पंजीकरण हेतु निर्धारित EoI की शर्त संख्या – 09 एवं 27 में संशोधन के सम्बन्ध में।**

1. **EoI** की शर्त संख्या 09 में संशोधन – ''एल–1 की सहमति पर अपनी स्वेच्छा से विभाग में पंजीकृत किसी भी फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता से कार्य करा सकता है'' को विलोपित समझा जाय।
2. **EoI** की शर्त संख्या 27 में संशोधन – ''एल–1 की सहमति पर अन्य पंजीकृत फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता से भी कार्य कराया जा सकता है'' को विलोपित समझा जाय।
3. शेष शर्तें दिनांक 28.08.2024 को जारी EoI के अनुसार यथावत रहेगी।
4. जिन फर्मों/कम्पनियों/अधिकृत विक्रेताओं द्वारा पूर्व में उक्त घटकों के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन किया गया है, उन्हें पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं है। इनके अतिरिक्त यदि कोई फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता पंजीकरण हेतु आवेदन करना चाहता है, तो वह दिनांक 19.09.2024 के सायं: 5:00 बजे तक पंजीकरण हेतु समस्त वांछित अभिलेख डॉक व दस्ती के माध्यम से कार्यालय– निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में जमा कर सकता है, जिसे विभागीय गठित समिति द्वारा दिनांक 20.09.2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे खोला जायेगा।

11/9/2024

**हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नार्थ ईस्ट एण्ड हिमालयन स्टेट्स (HMNEH) एवं विभाग में संचालित अन्य योजनान्तर्गत एन्टी बर्ड/एन्टी हेल नेट– Woven/Leno, Knitted/Raschel एवं प्लास्टिक मल्चिगं शीट– Non Reflective film/Reflective film (IS 17216 : 2019) के मूल उत्पादक फर्मो/कम्पनियों/अधिकृत विक्रेताओं के पंजीकरण हेतु निर्धारित शर्तेः–**

एन्टी बर्ड/एन्टी हेल नेट (Anti Bird / Anti Hail Net) एवं प्लास्टिक मल्च शीट (Plastic Mulch Sheet) आपूर्तिकर्ता इच्छुक फर्म/कम्पनियों/अधिकृत विक्रेताओं के पंजीकरण हेतु निर्धारित शर्तों, एन्टी बर्ड/एन्टी हेल नेट– Woven/Leno, Knitted/Raschel एवं प्लास्टिक मल्च शीट (Plastic Mulch Sheet) Non Reflective film/Reflective film (IS 17216 : 2019) की विशिष्टियों तथा निर्धारित प्रारूप को वेबसाईट www.shm.uk.gov.in से डाउनलोड कर अथवा कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता हैं। पंजीकरण हेतु आवेदन, आवश्यक अभिलेख सहित दिनांक 05.09.2024 के अपराह्न 05:00 बजे तक डाक व दस्ती के माध्यम से कार्यालय– निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में उपलब्ध कराना आवश्यक है। प्राप्त आवेदनों को दिनांक 06.09.2024 के पूर्वाह्न 11:00 बजे विभागीय कमेटी द्वारा खोला जायेगा। EoI की शर्तें एवं निर्धारित प्रारूप निम्नानुसार हैः–

1) फर्म/कम्पनी द्वारा लिफाफे के ऊपर "एन्टी बर्ड/एन्टी हेल नेट (**Anti Bird / Anti Hail Net**) एवं प्लास्टिक मल्च शीट (**Plastic Mulch Sheet**) हेतु आवेदन" अवश्य अंकित किया जाय तथा दोनों प्रथम लिफाफा ऐन्टीबर्ड/ऐन्टीहेल नेट तथा दूसरा लिफाफा प्लास्टिक मल्चिगं के आवेदन पत्र/अन्य दस्तावेजों को अलग–अलग लिफाफों में जमा किये जाय।

2) पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म को बागवानी मिशन की बेवसाईट www.shm.uk.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। "एन्टी बर्ड / एन्टी हेल नेट (**Anti Bird / Anti Hail Net**) के आवेदन हेतु रू0 5900.00 एवं प्लास्टिक मल्च शीट (**Plastic Mulch Sheet**) के आवेदन हेतु रू0 2360/–(रूपये दो हजार तीन सौ साठ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून के नाम देय हो, पृथक–पृथक सम्बधित लिफाफे में संलग्न करना होगा। वेबसाईट से डाउनलोड किये गये आवेदन फार्म अथवा क्रय किये गये आवेदन फार्म किसी अन्य फर्म/कम्पनी को न तो विक्रय किया जा सकेगा न ही हस्तान्तरित किया जा सकेगा।

3) एन्टी हेलनेट/बर्ड नेट हेतु फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता को पंजीकरण हेतु रू0 12.25 लाख (रूपये बारह लाख पचीस हजार मात्र) एवं प्लास्टिक मल्चिंग के पंजीकरण हेतु रू0 4.70 लाख (रूपये चार लाख सत्तर हत्तर हजार मात्र) की बैंक गारन्टी या सावधि जमा रसीद जो निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड के नाम बन्धक हो तथा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से देय हो, उपलब्ध करानी होगी, जिसकी वैद्यता दिनांक 31.03.2026 तक होनी चाहिये। कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड के पत्रांक 870/HMNEH/2024-25 दिनांक 22.07.2024 द्वारा आमन्त्रित EoI के क्रम में आवेदन के साथ जिन फर्मो/कम्पनियों/अधिकृत विक्रेताओं द्वारा उपरोक्तानुसार बैंक गारन्टी या सावधि जमा रसीद उपलब्ध करायी गयी है, उन्हें पुनः आवेदन के समय बैंक गारन्टी या सावधि जमा रसीद प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु केवल आवेदन शुल्क जमा किया जायेगा।

4) फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता से कार्यपूर्ति प्रतिभूति (धरोहर राशि) कार्य के आधार पर अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के अनुसार 05 प्रतिशत धनराशि सावधी जमा रसीद के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जो निदेशक, बागवानी मिशन के नाम बन्धक हो, उपलब्ध करानी होगी। गारन्टी/वारन्टी समयावधि के उपरान्त सावधी जमा रसीद को निदेशक, बागवानी मिशन द्वारा बन्धनमुक्त कर सम्बन्धित को मूल रूप में वापस कर दी जायेगी। फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता द्वारा पंजीकरण हेतु जमा धरोहर धनराशि (Earnest Money) को प्रतिभूति धनराशि में समायोजित किया जा सकता है।

5) फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता का ऐन्टीहेल नेट पंजीकरण के लिये विगत 02 वर्षों का औसतन टर्न ओवर न्यूनतम रू0 75.00 लाख एवं प्लास्टिक मल्चिगं हेतु न्यूनतम रू0 50.00 लाख होना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि हेतु चार्टेड एकाउन्टेन्ट (CA) द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं विगत 02 वर्षों का Financial Statement भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6) फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता की Net Worth सकारात्मक (Positive) होना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि हेतु चार्टेड एकाउन्टैन्ट निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7) किसानों को निर्माण उपरान्त सेवा आसानी से प्राप्त कराने के उद्देश्य से फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता का कार्यालय उत्तराखण्ड राज्य में होना आवश्यक है।

8) यदि निर्माता फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता देश के बाहर की हैं तो उनके द्वारा देश में Authorized Dealership ली गई हो, जिससे उक्त फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता देश में कार्य कर सकती है। इस स्थिति में सम्बन्धित फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता को इस आशय का प्रमाण पत्र जो कि मूल विनिर्माता द्वारा दिया गया हो, पंजीकरण प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

9) कास्तकार एन्टी बर्ड/एन्टी हेल नेट (Anti Bird / Anti Hail Net) एवं प्लास्टिक मल्च शीट (Plastic Mulch Sheet) हेतु विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त एल–01 की सहमति पर अपनी स्वेच्छा से विभाग में पंजीकृत किसी भी फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता से कार्य करा सकता है।

10) फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता का वाणिज्य कर हेतु पंजीकरण व निर्माण उपरान्त सेवा की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है।

11) पंजीकरण हेतु आवेदनकर्ता/निर्माता, फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता को केन्द्रीय/राज्य व्यापार कर में पंजीकृत होना अनिवार्य है। साथ ही पंजीकरण प्रमाण पत्र, GST एवं आयकर पैन कार्ड की छायाप्रति फार्म के साथ संलग्न करनी होगी।

12) पंजीकरण के पश्चात् यदि पंजीकृत फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता के साथ विवाद की स्थिति में फर्म/कम्पनी को निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड का फैसला अन्तिम रूप से मान्य होगा।

13) पंजीकरण की वैधता तिथि 31.03.2026 तक होगी।

14) भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/ड्यूटिज आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोतरी/परिवर्तन किया जाता है, तो पंजीकृत फर्म के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड को तत्काल उपलब्ध करायेगें।

15) विभाग की आवश्यकतानुसार पंजीकरण व्यवस्था को किसी भी समय नवीनीकरण अथवा समाप्त किया जा सकता है।

16) यदि फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता के मानक सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की वैद्यता तिथि 31.03.2026 से पूर्व समाप्त होती है तो फर्म को नवीनीकृत पंजीकरण के प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी अन्यथा फर्म का पंजीकरण समाप्त कर दिया जायेगा।

17) फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विभाग को मूल बिल–वाउचर प्रस्तुत करते हुए विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कर लिये जाने के उपरान्त सीधे किसान को DBT के माध्यम से राजसहायता का भुगतान किया जायेगा।

18) कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार पंजीकरण की शर्तो/नियमों में तद्नुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। यदि MIDH भारत सरकार द्वारा भविष्य में राजसहायता की दरों में परिवर्तन होता है तो राजसहायता की संशोधित दरें उपरोक्त पर भी लागू होंगी इस हेतु पंजीकृत फर्मों/कम्पनियों/अधिकृत विक्रेताओं से वित्तीय दरें तद्नुसार प्राप्त की जायेंगी।

19) फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता द्वारा एन्टी बर्ड / एन्टी हेल नेट (Anti Bird / Anti Hail Net) एवं प्लास्टिक मल्चिंग (Plastic Mulching) के नमूने कार्यालय में जमा करना होगा। गुणवत्ता उच्च होने पर ही फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता का पंजीकरण किया जायेगा, जिसकी पुष्टि हेतु फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता को CIPET/BIS से सैम्पल की टेस्टिगं रिपोर्ट पंजीकरण हेतु संलग्न करनी होगी। किसी फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता का सैम्पल फेल होने की दशा में पंजीकरण पर विचार नहीं किया जायेगा। आपूर्ति की गई गुणवत्ता खराब होने पर उक्त सैम्पल की जॉच कराई जा सकती है।

20) फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता को रू0 100.00 नोटेराईज्ड़ शपथ पत्र पर प्रमाण पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा, कि किसी प्रदेश में ब्लैक लिस्ट नहीं है एवं फर्म के विरूद्ध कोई विवाद, विधिक कार्यवाही, अपराधिक कार्यवाही नहीं चल रही है एवं संलग्न किये गये अभिलेख सत्य हैं।

21) एन्टी बर्ड/एन्टी हेल नेट (Anti Bird / Anti Hail Net) एवं/अथवा प्लास्टिक मल्चिंग (Plastic Mulching) के पंजीकरण हेतु दी गई दरों के सम्बन्ध में फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता द्वारा अन्य राज्यों या संस्थाओं को की गई आपूर्ति की दरों से अधिक नहीं होने सम्बन्धी रू0 100.00 के नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

22) फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता द्वारा ऐन्टीहेल नेट/प्लास्टिक मल्चिंग शीट मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप आपूर्ति नहीं किये जाने/आपूर्ति सामग्री गुणवत्ता से न्यून/खराब पाये जाने की स्थिति में प्राप्त शिकायत के प्रमाणित होने पर फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। ऐसी फर्म को काली सूची में रखे जाने का निर्णय भी लिया जा सकता है तथा उसके द्वारा जमा बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद (FDR) विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

23) पंजीकृत किये जाने वाले फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता को एन्टी बर्ड/एन्टी हेल नेट (Anti Bird / Anti Hail Net) एवं प्लास्टिक मल्चिंग (Plastic Mulching) विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों (Specification's) के अनुसार आपूर्ति करना होगा।

24) फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता को एन्टी बर्ड / एन्टी हेल नेट (Anti Bird / Anti Hail Net) हेतु रू0 100.00 के नोटेराईज़्ड स्टाम्प पेपर पर 03 वर्षों की गारन्टी/वारन्टी एवं प्लास्टिक मल्चिंग हेतु 01 वर्ष की गारन्टी का पृथक–पृथक शपथ पत्र देना होगा।

25) फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता को एन्टी बर्ड / एन्टी हेल नेट– Woven/Leno एवं Knitted/Raschel एवं प्लास्टिक मल्चिंग (Plastic Mulching) – Non reflective Film/ Reflective Film (IS 17216:2019) के नमूने आवेदन के साथ जमा करने होगें।

26) फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता द्वारा कास्तकारों को एन्टी बर्ड / एन्टी हेल नेट लगाने एवं प्लास्टिक मल्चिंग (Plastic Mulching) बिछाने की पूर्ण जानकारी निःशुल्क प्रदान करनी होगी।

27) पंजीकरण के पश्चात फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता से विभाग द्वारा जनपदवार दरें प्राप्त की जायेगी एवं न्यूनतम दर के आधार पर कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। एल0–1 फर्म की सहमति पर अन्य पंजीकृत फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता से भी कार्य कराया जा सकता है।

28) पंजीकरण हेतु फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता को समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा ऐसा न करने पर उसके द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन को समाप्त कर दिया जायेगा, इसके लिए रू0 100.00 के नोटेराईज्ड़ स्टाम्प पर शपथ पत्र मूल रूप से अनिवार्य होगा।

29) MSME/Startup में पंजीकृत फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता को नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी।

30) EoI से सम्बन्धित प्री–बिड बैठक दिनांक 31 अगस्त, 2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे कार्यालय अपर निदेशक, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में आयोजित की जायेगी, जिससे पूर्व इच्छुक फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता पंजीकरण से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की Query ई–मेल के माध्यम से दिनांक 30 अगस्त, 2024 की सांय 05:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है तथा उक्त प्री–बिड बैठक में भी प्रतिभाग कर सकते हैं।

31) ऐन्टी बर्ड नेट/ऐन्टीहेल नेट–Woven/Leno एवं Knitted/Raschel की विशिष्टियांः–

| S. No. | Specifications | Woven/Leno | Knitted/Raschel |
|---|---|---|---|
| 1 | Type of thread | HDPE | HDPE |
| 2 | Yarn Thickness | 0.25-0.28 mm | 0.18-0.22 mm |
| 3 | Weight | 70 GSM | 70 GSM |
| 4 | Bursting Pressure | 8-10 kg/Sqm | 8-10 kg/Sqm |

| S. No. | Specifications | Woven/Leno | Knitted/Raschel |
|---|---|---|---|
| 5 | Shade factor (max. permissible) | Up to 17% | Up to 17 % |
| 6 | Colour | Transparent | Transparent |
| 7 | Service Life | Min 5 years | Min 5 years |
| 8 | Material used | 100% virgin | 100 % virgin |
| 9 | UV Stabilization | Required | Required |
| 10 | Selvedge | 2" | 2" |

32) कृषक की मांगानुसार ऐन्टी बर्ड नेट/ऐन्टीहेल नेट–Woven/Leno एवं Knitted/Raschel पंजीकरण के पश्चात् उपलब्ध करानी होगी। पंजीकरण के पश्चात् टैक्स सहित दोनों की दरें अलग–अलग प्राप्त की जायेगी।

33) प्लास्टिक मल्चिंग की विशिष्टियॉं– कृषक की मांगानुसार प्लास्टिक मल्चिंग सीट उपलब्ध करानी होगी। पंजीकरण के पश्चात दरें मांगे जाने पर प्रत्येक माइक्रोन की मल्चिंग सीट की पृथक–पृथक दरें उपलब्ध करानी होगीं। कृषक को राजसहायता का भुगतान न्यूनतम दरों के आधार पर भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गनिर्देशिका में दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

| S. No. | Particulars | Specifications |
|---|---|---|
| 1 | Non reflective Film/ Reflective Film (IS 17216:2019) | 30, 40, 50, 75 & 100 Micron etc. |
| 2 | Color | Black, Black & White, Silver |

34) निदेशक, बागवानी मिशन के पास पूर्ण अधिकार होगा कि वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा किसी भी जनपद में आपूर्ति की गई उपरोक्तानुसार समाग्री की गुणवत्ता तथा विशिष्टियों का परीक्षण कर सकेगें तथा आवश्यकतानुसार जनपदों में आपूर्ति की गई सामग्री का सैम्पल भी प्राप्त कर सकेगें एवं किसी भी प्रयोगशाला/परीक्षणशाला में सामग्री का परीक्षण करा सकेगें, जिस पर आपूर्तिकर्ता की कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

35) फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता द्वारा व्हाट्सप सुविधा युक्त मो0नं0 एवं ईमेल आई0डी0 अनिवार्य रूप से दी जाय, जिससे कि समस्त पत्राचार ईमेल के माध्यम से किये जा सके।

☎ कार्यालय / फैक्स:0135–2759799
ई–मेल: missionhortiuk@gmail.com

# कार्यालय – निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड
# राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून

**एन्टी बर्ड / एन्टी हेल नेट (Anti Bird / Anti Hail Net) एवं प्लास्टिक मल्च शीट (Plastic Mulch Sheet) के इम्पेनलमेन्ट हेतु तकनीकी प्रपत्र –1**

| कमांक | विवरण | अभ्युक्ति संलग्न है या नहीं | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | फर्म / कम्पनी / अधिकृत विक्रेता की विस्तृत प्रोफाईल संलग्न करनी होगी, जिसमें फर्म / कम्पनी / अधिकृत विक्रेता के कार्यालय का पता, फर्म / कम्पनी / अधिकृत विक्रेता के स्वामी का नाम, फर्म / कम्पनी / अधिकृत विक्रेता के निदेशक, फर्म / कम्पनी के साझेदारों का नाम अंकित हो। | | |
| 2. | प्रक्रिया शुल्क का विवरण–<br>ड्राफ्ट संख्या....................तिथि...............धनराशि रू0 .............. | | |
| 3. | बैंक गारन्टी / सावधी जमा रसीद, जो निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड़ के नाम बन्धक हो।<br>1.बैंक का नाम..................................................<br>शाखा का नाम व पूर्ण पता ..........................................<br>बैंक गारन्टी / FDR संख्या.............<br>तिथि...............धनराशि रू0 ................ लाख | | |
| 4. | फर्म का पैन नम्बर की छायाप्रति | | |
| 5. | फर्म का जी.एस.टी. की छायाप्रति | | |
| 6. | विभाग द्वारा ऐन्टीहेल नेट एवं प्लास्टिक मलिचंग शीट हेतु निर्धारित विशिष्टियों (Specification's) की हस्ताक्षरित प्रति। | | |
| 7. | फर्म / कम्पनी / अधिकृत विक्रेता का कार्यालय उत्तराखण्ड राज्य में होने का प्रमाण पत्र। | | |
| 8. | रू0 100.00 के नोटेराईज्ड़ शपथ पत्र पर संलग्न अभिलेखों की सत्यता, फर्म / कम्पनी / अधिकृत विक्रेता के विरूद्ध कोई विवाद / विधिक कार्यवाही / अपराधिक कार्यवाही, ब्लैक लिस्ट नहीं होने, निर्धारित शर्तो / प्रतिबन्धों का पालन करने, ऐन्टी हेल नेट हेतु 03 वर्ष की गारन्टी / वारन्टी प्रदान करने एवं प्लास्टिक मल्चिगं हेतु 01 वर्ष की गारन्टी / वारन्टी प्रदान करने के सम्बन्ध में। | | |
| 9. | रू0 100.00 के नोटराईज्ड़ शपथ पत्र पर वित्तीय प्रपत्र में दी गई दरें न्यूनतम होने व दी गई दरों से कम दरों पर किसी राज्य या संस्था या विभाग में पंजीकरण की अवधि में कार्य नहीं किये जाने की शपथ। | | |
| 10. | देश से बाहर की फर्म / कम्पनी / अधिकृत विक्रेता होने पर उनकी देश में Authorized Dealership का प्रमाण। | | |

| क्रमांक | विवरण | अभ्युक्ति संलग्न है या नहीं | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|
| 11. | फर्म / कम्पनी / अधिकृत विक्रेता के फैक्ट्ररी / वर्क शॉप का उपलब्ध मशीनों व तकनीकी कर्मचारियों के विवरण सहित विस्तृत सूचना, फैक्ट्ररी / वर्कशॉप का पूर्ण पता सहित। | | |
| 12. | फर्म / कम्पनी / अधिकृत विक्रेता का एंन्टीहेल नेट पंजीकरण के लिये विगत 02 वर्षों का औसतन टर्न ओवर न्यूनतम रू0 75.00 लाख एवं प्लास्टिक मल्चिंग के लिये न्यूनतम टर्न ओवर रू0 50.00 लाख होना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि हेतु चार्टेड एकाउन्टेन्ट (CA) द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं विगत 02 वर्षों का Financial Statement भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। | | |
| 13 | फर्म / कम्पनी / अधिकृत विक्रेता की Net Worth सकारात्मक (Positive) होना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि हेतु चार्टेड एकाउन्टैन्ट निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय। | | |
| 14 | फर्म / कम्पनी / अधिकृत विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराये गये नमूने की CIPET/BIS या किसी अन्य मान्यता प्रयोगशाला से टेस्टिगं रिपोर्ट संलग्न की जाय (जो कि 01 अप्रैल, 2024 से पूर्व की न हो)। | | |
| 15 | पंजीकरण हेतु फर्म / कम्पनी / अधिकृत विक्रेता को समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा ऐसा न करने पर उसके द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन को समाप्त कर दिया जायेगा, इसके लिए रू0 100.00 के नोटेराईज्ड़ स्टाम्प पर शपथ पत्र मूल रूप से अनिवार्य होगा। | | |

**नोट– उपरोक्त सभी कालम पूर्ण रूप से स्वयं अथवा प्राधिकृतकर्ता द्वारा भरे जाने होंगे तथा प्रमाण पत्र दिया जाना होगा कि उपरोक्त सभी कालम में दी गयी सूचनाऐं सत्य एवं प्रमाणित हैं। आवेदन के साथ समस्त प्रपत्रों को स्वप्रमाणित करते हुये क्रमांक अंकित करना आवश्यक है। इम्पेनलमेन्ट प्रस्ताव के साथ अनावश्यक प्रपत्र संलग्न न किये जायें।**

## प्रमाण–पत्र

मेरे द्वारा उपरोक्त इम्पेनलमेन्ट की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अध्ययन कर लिया गया है तथा उक्त सभी शर्तो पर अपनी पूर्णतः सहमति प्रदान करता हूँ।

प्राधिकर्ता के हस्ताक्षर–
प्राधिकर्ता का नाम–
फर्म का नाम / पता / सील
मोबाईल नम्बर–
ईमेल–